N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT   P.S. (थाना): C.P.S Jaipur   Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0135   Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 02/06/2025 18:04 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन   Date From (दिनांक से): 30/05/2025   Date To (दिनांक तक): 31/05/2025

Time Period (समय अवधि): पहर 5   Time From (समय से): 14:00 बजे   Time To (समय तक): 13:50 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 02/06/2025   Time (समय): 14:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001   Date & Time (दिनांक एवं समय) 02/06/2025 18:04:57 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): NORTH-WEST, 121 किमी   Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

(b)Address(पता): SUKHI VIHAR, SHEKHPURA MOUHLLA, SIKAR

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम):   District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** RAJENDRA MUVAL

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** AMARCHAND

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1986 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	SHERPURA,RANOLI, SIKAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	SHERPURA,RANOLI, SIKAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	DEEPAK AGARWAL		पिता:MANGTURAM	1. FLAT NO.104,SUKHI VIHAR,SHEKHPURA MOHALLA,SIKAR,RAJASTHAN,I

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		25,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):** 25,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

महोदय, निवेदन है कि दिनांक 30.05.2025 को परिवादी श्री राजेन्द्र मुवाल पुत्र श्री अमरचंद, जाति-जाट, उम्र 39 वर्ष निवासी शेरपुरा, रानोली, जिला सीकर हाल पशुधन निरीक्षक, पशु चिकित्सा उप केन्द्र, मोटासर खूनी, जिला श्रीगंगानगर ने एसीबी मुख्यालय पर उपस्थित होकर एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि मैं राजेन्द्र मुवाल पुत्र श्री अमरचन्द निवासी शेरपुरा, रानोली, जिला सीकर का निवासी हूँ तथा वर्तमान में वर्ष 2013 से पशुपालन विभाग में पशुधन निरीक्षक के पद पर अपनी सेवायें दे रहा हूँ। मैं वर्ष 2024 से पशु चि. मण्डा (मदनी) सीकर में कार्यरत था, उस समय डॉ. दीपक अग्रवाल, संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग सीकर ने मेरे पदस्थापन स्थान (मण्डा-मदनी) का निरीक्षण करने आये, उस समय मेरे पास पशु चि. उपकेन्द्र बधाला की ढाणी (सीकर) का अति. चार्ज (कार्यभार) भी था। निरीक्षण के दौरान मेरे बधाला की ढाणी में उपस्थित होने तथा डॉ. दीपक अग्रवाल से निरीक्षण के दौरान फोन पर वार्ता होने के बाद भी उनके द्वारा मुझे कार्यस्थल पर अनुपस्थिति रहने बाबत कारण बताओ नोटिस जारी किया एवं तीन महीनों का वेतन आहरण रोक दिया। इस अनुचित कार्यवाही के सम्बन्ध में जब मैने डॉ. दीपक अग्रवाल से मुलाकात की तो उनके द्वारा मेरे नोटिस पर कार्यवाही नहीं करने के लिए तथा भविष्य में इस प्रकार की कार्यवाही नहीं करने लिए प्रतिमाह 5000 रूप्ये मासिक बन्धी की मांग की गई। मेरे द्वारा इस प्रकार की मासिक बन्धी देने में असमर्थता व्यक्त करने पर उन्होने मेरा स्थानान्तरण उच्चाधिकारियों से शिकायत कर कार्यव्यवस्थार्थ के नाम से 600 किमी दूर के (झिनझिनयावली) जैसलमेर कर दिया और इसके तीन दिवस बाद ही मुझे प्रताडित करने के लिए मेरा स्थानान्तरण भी पशु चि. उ० मोटासर खूनी श्रीगंगानगर करवा दिया। तत्पश्चात् दिनांक 7.05.25 को प्रातः डॉ. दीपक अग्रवाल ने अपने मोबा. [redacted] से मेरे मोबा.नं. [redacted] पर कॉल किया और कहा कि तू मेरे से मिलने तो आता नहीं है, इसलिए ऐसा ट्रांसफर का काम हो जाता है। मेरे द्वारा उनसे विनती की गई कि मैं पारिवारिक कारणों से परेशान हूँ। मेरा ट्रांसफर सीकर चाहता हूँ तो उन्होने मिलने का कहा। इसके करीब 10 दिन बाद उन्होने मुझे वाट्सअप कॉल करके कहा कि मेरे को पिछले महीनों की मंथली दे दे एवं यदि तुम मुझे 50 हजार रूप्ये दे देता है, तो मैं तेरा ट्रांसफर वापस सीकर करवा दूंगा। और यह भी कहा कि इसके लिए तू मेरे से जल्दी आकर मुलाकात कर। मेरे डॉ. दीपक अग्रवाल से किसी प्रकार की रंजिश नहीं है और ना ही हमारे बीच कोई पैसे का लेनदेन का हिसाब शेष है। मैं डॉ. दीपक अग्रवाल संयुक्त निदेशक को उनकी अनुचित मांग के लिये रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूँ। बल्कि डॉ. दीपक अग्रवाल, संयुक्त निदेशक को रिश्वत राशि देते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूँ। कृपया भ्रष्ट अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। परिवादी द्वारा हस्तलिखित उक्त प्रार्थना के साथ, स्वयं के आधार कार्ड तथा पशु चिकित्सालय उपकेन्द्र, मोटासर खूनी, जिला श्रीगंगानगर में पशुपालन विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश कमांक 11939 दिनांक 9.05. 2025 की छायाप्रति संलग्न प्रस्तुत की गई। प्राप्त प्रार्थना पत्र और परिवादी से की गई मजीद दरयाफ्त से प्राथमिक तौर पर प्रकट होता है कि संदिग्ध डॉ. दीपक अग्रवाल, संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, सीकर द्वारा परिवादी श्री राजेन्द्र मुवाल से उसका स्थानान्तरण करवाने के नाम पर 50,000 रूप्ये तथा मासिक बन्धी के रूप में पृथक से रिश्वत की मांग की जा रही है। इस प्रकार हस्तलिखित प्रार्थना पत्र के अवलोकन एवं मजीद दरयाफ्त से मामला डॉ. दीपक अग्रवाल, संयुक्त निदेशक द्वारा परिवादी श्री राजेन्द्र मुवाल से रिश्वत मांग का पाया जाने से नियमानुसार रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक होने से मन अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा शाखा में पदस्थापित श्री राजेन्द्र सिंह हैडकानि. 130 को तलब किया जाकर परिवादी श्री राजेन्द्र मुवाल से परिचय करवाया गया और शाखा से एक खाली मेमोरी कार्ड का खाली होना सुनिश्चित कर उसे डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में डालकर चालू एवं बंद करने की प्रक्रिया समझाई गई तथा श्री राजेन्द्र सिंह को निर्देश दिये गये कि परिवादी श्री राजेन्द्र मुवाल, जब भी आरोपी संदिग्ध से रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ता करने मुलाकात के लिये जाये तो उन्हें यह डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर चालू करके दें। आरोपी संदिग्ध द्वारा परिवादी को कॉल करके शीघ्र सीकर आने के निर्देश दिये गये थे, इस सम्बन्ध में परिवादी श्री राजेन्द्र मुवाल के मोबाईल नं. [redacted] से संदिग्ध आरोपी डॉ. दीपक अग्रवाल, संयुक्त निदेशक के मोबाईल नं. [redacted] पर कॉल करवाई गई तथा परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन करके वार्ता को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। वार्तालाप में संदिग्ध द्वारा परिवादी को 630 पीएम तक सीकर में उनसे मुलाकात के निर्देश दिये गये है। संदिग्ध आरोपी से हुई वार्ता के कम में परिवादी श्री राजेन्द्र मुवाल के साथ श्री राजेन्द्र सिंह हैडकानि. को डिजीटल वॉईस रिकार्डर दिया जाकर

सीकर रवाना किया गया तथा निर्देशित किया गया कि बाद रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर सुरक्षित मेरे समक्ष प्रस्तुत करें। दिनांक 30.05.2025 को समय 800 पीएम पर श्री राजेन्द सिंह, हैडक हैडकानि. 130 ने अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर [redacted] पर कॉल करके बताया कि मै आपके निर्देशानुसार ब्यूरो मुख्यालय से रवाना होकर परिवादी के साथ करीब 700 पीएम पर सीकर पहुंचा। जहाँ परिवादी श्री राजेन्द्र मुवाल ने अपने मोबाईल नं. [redacted] से संदिग्ध आरोपी के मोबाईल नं. [redacted] पर वार्ता की गई, जिसे डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। संदिग्ध डॉ. दीपक अग्रवाल, संयुक्त निदेशक द्वारा परिवादी को मनु हॉस्पिटल के पास, सीकर स्थित सुखी विहार अपार्टमेंट में अपने फ्लैट पर बुलाया और बताया कि वह कुछ ही समय में वहाँ पहुंच रहे है। समय करीब 720 पीएम पर संदिग्ध डॉ दीपक अग्रवाल का परिवादी के मोबाईल पर कॉल आया और उन्होनें परिवादी श्री राजेन्द्र मुवाल को अपने निवास पर बुलाया गया। मेरे द्वारा परिवादी श्री राजेन्द्र मुवाल को आपके निर्देशानुसार डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू करके सुपुर्द किया तथा रिश्वत मांग सत्यापन हेतु संदिग्ध डॉ. दीपक अग्रवाल, संयुक्त निदेशक के पास रवाना किया गया। मै गोपनीयतापूर्वक अपनी उपस्थिति छुपाते हुये संदिग्ध के निवास स्थान के पास ही मौजूद रहा। कुछ समय बाद परिवादी श्री राजेन्द्र मुवाल, संदिग्ध डॉ. दीपक अग्रवाल के निवास से बाहर आये और मुझे रिकॉर्डर सुपुर्द किया। रिकॉर्डर को मेरे द्वारा बंद किया जाकर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी श्री राजेन्द्र मुवाल ने मुझे बताया कि मेरी और डॉ. दीपक अग्रवाल की वार्ता हो गई और उनके द्वारा इस वार्ता में स्थानान्तरण का कार्य करवाने से पहले, अपनी पूर्व में तय की गई मासिक बन्धी का हिसाब पहले करने के लिये कहा गया और पहले तीस हजार रूप्ये मांगकर, मेरे निवेदन करने के बाद में पच्चीस हजार रूप्ये रिश्वत राशि लेने के लिये सहमत हुए। जिस पर मैं उनसे कल दोपहर डेढ़ बजे तक का समय देने का कहकर आया हूँ। वार्ता के बाद डॉ. दीपक अग्रवाल ने मुझे कहा कि मोबाईल में रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे हो और उन्होनें मेरा मोबाईल भी हाथ में लेकर खुलवा कर चैक किया था। उक्त सम्पूर्ण वार्तालाप डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो गई है। इस पर मन अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री राजेन्द्र मुवाल से डॉ. दीपक अग्रवाल की रिश्वत मांग के क्रम में रिश्वत राशि की व्यवस्था करके अविलम्ब एसीबी कार्यालय में आने और गोपनीयता बरतने के दिशा-निर्देश दिये गये। श्री राजेन्द्र सिंह को भी परिवादी के साथ एसीबी कार्यालय में आने हेतु पाबन्द किया गया और डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को सुरक्षित अवस्था में रखने के निर्देश दिये जाकर मुख्यालय पर उपस्थिति हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 31.05.2025 को समय 700 एएम पर श्री राजेन्द्र सिंह हैड कानि. 130 एवं परिवादी श्री राजेन्द्र मुवाल कार्यालय में उपस्थित आये। श्री राजेन्द्र सिंह, हैडकानि ने मन अति. पुलिस अधीक्षक को डिजिटल वाईस रिकार्डर सुरक्षित अवस्था में सुपुर्द किया और परिवादी तथा श्री राजेन्द्र सिंह हैडकानि संदिग्ध डॉ. दीपक अग्रवाल के निवास पर मुलाकात और रिश्वत मांग के सम्बन्ध में घटित सम्पूर्ण घटनाक्रम के हालात निवेदन किये गये, जिसमें पूर्व के तथ्यों की पुष्टि हुई। मन अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय के कम्प्यूटर से डिजिटल वाईस रिकार्डर को श्री राजेन्द्र सिंह से जुडवाया जाकर उक्त रिकॉर्डर में सुरक्षित रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ता को सुना गया तो परिवादी श्री राजेन्द्र मुवाल तथा श्री राजेन्द्र सिंह, हैडकानि. के कथनो की ताईद होती है। वार्ता में परिवादी द्वारा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में निवेदन करने पर डॉ. दीपक अग्रवाल ने कहा कि मेरो मौको लागता ही सीकर को में पेहलो ट्रांसफर तेरो होवेगो। तत्पश्चात् डॉ. दीपक अग्रवाल पूर्व की वार्ता के क्रम में कहता है कि मैं तेरे से आगे तो तेरे से बात करने की पोजीशन में ही कोनी, जो चीज मेरे पेल्यां को खाडो ह ना तो परिवादी कहता है बिन चार गुणा भरस्यूं मैं तत्पश्चात् डॉ. दीपक अग्रवाल कहता है कि तू पेल्या लो खाडो भरेलो जद आपां आगे सोचाला तो परिवादी कहता है कि बो पेली भर देस्यू इस पर डॉ. दीपक अग्रवाल कहता है कि सैकिण्ड स्टेप बीके बाद में चालसी तत्पश्चात् परिवादी कहता है कि आप बताओ कित्ता करना है तत्पश्चात् डॉ. दीपक अग्रवाल कहता है कि कित्ता महीना होगा बां बाता न, सात महीना होगा तत्पश्चात कहता है कि कित्ता रूप्या में बात हुई थी तो परिवादी कहता है कि थे ही बता द्यो कित्ता रूप्या में बात हुई छी तो डॉ. दीपक अग्रवाल कहता है कि हजार रूप्या दे र गयो छो तो परिवादी सहमति देता है और कहता है कि मैं हजार दे र गयो हो और पांच में हुई ही, छः महीना का पांच का हिसाब सूं तीस होगा। तत्पश्चात् डॉ. दीपक अग्रवाल कहता है कि तू बता दे के लायो है तो परिवादी कल दोपहर तक का समय मांगता है। तत्पश्चात् डॉ. दीपक अग्रवाल कहता है कि पच्चीस दे जाये तो परिवादी कहता है कि पच्चीस हजार, फाईनल तो डॉ. दीपक अग्रवाल सहमति देता है। इस पर परिवादी कल डेढ बजे लाने का आश्वासन देता है। वार्तालाप को सुनने से प्रकट होता है कि संदिग्ध डॉ. दीपक अग्रवाल, संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, सीकर द्वारा परिवादी श्री राजेन्द्र मुवाल से पूर्व के छः माह की पांच हजार रूप्ये प्रतिमाह के हिसाब से मासिक बन्धी के रूप में रिश्वत राशि मांगी गई है और परिवादी के निवेदन पर उनके द्वारा यह राशि पच्चीस हजार कल दिनांक 31.05.2025 को दोपहर डेढ़ बजे लाने के निर्देश दिये गये है। हस्तलिखित प्रार्थना पत्र, परिवादी राजेन्द्र मुवाल से की गई मजीद दरयाफ्त तथा श्री राजेन्द्र सिंह हैडकानि से बताये गये तथ्यों, डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता तथा अब तक की कार्यवाही से डॉ. दीपक अग्रवाल, संयुक्त निदेशक द्वारा परिवादी राजेन्द्र मुवाल से रिश्वत मांग का सत्यापन पूर्ण हो चुका है। संदिग्ध तथा परिवादी के मध्य दिनांक 31.05.2025 को रिश्वत राशि पच्चीस हजार रूप्ये दिये जाने पर सहमति होने से दोपहर डेढ़ बजे सीकर पहुंचकर रिश्वत लेनदेन की ट्रेप कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। इस कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाह श्री अंशुल शर्मा पुत्र श्री अशोक कुमार शर्मा, जाति-ब्राम्हण, उम्र-20 साल निवासी

मकान सी-45, जानकी विहार, धावास रोड, जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय सहायक अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, चित्रकूट, जयपुर व श्री मुरलीधर शर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, उम्र 27 साल जाति-ब्राम्हण निवासी ग्राम पोस्ट भण्डाना, तहसील दौसा, जिला दौसा हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय नगर निगम गैराज शाखा, ग्रेटर नगर निगम, जयपुर को तलब किया जाकर प्रकरण की कार्यवाही में स्वतंत्र साक्षी रहने की सहमति चाही गई तो दोनो स्वतंत्र गवाहान द्वारा स्वेच्छापूर्वक सहमति दी जाने पर परिवादी श्री राजेन्द्र मुवाल तथा स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय कराया गया तथा गवाहान को परिवादी द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित प्रार्थना पत्र का अवलोकन करवाया जाकर पढने एवं समझने पर हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् समय 915 एएम पर परिवादी श्री राजेन्द्र मुवाल को रिश्वत राशि 25,000 रूप्ये प्रस्तुत करने के लिये कहा गया तो परिवादी श्री राजेन्द्र मुवाल ने अपने पास से पांच-पांच सौ रूप्ये के 50 नोट, कुल राशि 25,000 रूपये निकाल कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. द्वितीय, जयपुर को पेश किये, परिवादी द्वारा पेश किये गये नोटो का विवरण फर्द पेशकशी नोट में अंकित किया गया तथा उक्त नोटों के नम्बर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं स्वतंत्र गवाहान के द्वारा पुनः चैक किये गये तो नोटों के नम्बर उपरोक्तानुसार ही पाये गये। तत्पश्चात् श्री केशर सिंह, सहायक उप निरीक्षक से आलमारी से फिनोफ्थलीन पॉउडर की शीशी निकलवायी गयी तथा एक टेबल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उपरोक्त नम्बरी नोटों कुल 25,000 रूपये को रखकर उक्त नोटों पर श्री केशर सिंह, सउनि से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पॉउडर लगवाया गया। उसके बाद परिवादी श्री राजेन्द्र की जामा तलाशी गवाह श्री मुरलीधर शर्मा से लिवायी गयी, तो परिवादी के पास उसके मोबाइल फोन के अलावा कोई दस्तावेज/राशि/वस्तु नही रहने दी गयी। उक्त फिनोफ्थलीन पॉउडर युक्त नम्बरी नोटो को श्री केशर सिंह सउनि से परिवादी की दाहिनी पेन्ट की जेब में रखवाया गया। उसके पश्चात एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाया जाकर उसमें ट्रेप बाक्स से सोडियम कार्बोनेट की शीशी निकलवाकर उसमें से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर साफ पानी से भरे कांच के गिलास में डलवाकर घोल तैयार करवाया जो रंगहीन रहा, जिसको सभी को दिखाया गया। इसके पश्चात उक्त घोल में श्री केशर सिंह सउनि की फिनोफ्थलीन पावडर युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया, जिस पर परिवादी श्री राजेन्द्र मुवाल व गवाहान को दिखाकर समझाया गया कि यदि आरोपी उक्त पॉउडर लगे नोटों को छुयेगा तो उसके हाथों में फिनोफ्थलीन पॉउडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा जिससे यह साबित होगा कि उसने रिश्वती राशि को प्राप्त किया है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया गया। जिस अखबार पर नोटों को रखकर फिनोफ्थलीन पॉउडर लगाया गया था, उस अखबार को जलवाया गया और फिनोफथलीन पॉउडर की शीशी को पुनः कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री राजेन्द्र मुवाल को हिदायत दी गयी कि वह आरोपी द्वारा रिश्वत देने के बाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मो० नं० [redacted] पर मिस कॉल करें या ट्रेप पार्टी को गोपनीय ईशारा करें, इसके पश्चात गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के साथ या आस-पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन-देन को देखने का यथा-सम्भव प्रयास करें तथा परिवादी को हिदायत की गई कि वो संदिग्ध व्यक्ति को रिश्वत राशि देने के पश्चात ना तो उससे हाथ मिलाये और यदि आवश्यक हो तो हाथ जोडकर नमस्कार करें। तत्पश्चात श्री केशर सिंह, सउनि के दोनों हाथों को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद परिवादी, गवाहान एवं ट्रैप पार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये, मैनें भी अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये तथा ट्रैपबाक्स में रखी खाली शिशियां, ढक्कन, गिलास चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाया गया। परिवादी को छोड़कर सभी की आपस में एक दूसरे की जामा तलाशी लिवाई गई तथा सभी के पास कोई आपत्ति जनक वस्तु नहीं रहने दी गई। श्री केशर सिंह, सउनि को कार्यालय में ही छोडा गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महावीर प्रसाद शर्मा मय श्री गजानन्द उ.नि.. श्री राजकुमार सउनि, श्री राजेन्द्र सिंह एचसी 130, श्री पिन्टु मीणा हैड कानि. 34, श्री वीरेन्द्र शर्मा कानि. नं. 212. श्री महेश कानि. न. 193, श्रीमती शर्मिला म.कानि. नं. 96 तथा स्वतन्त्र गवाहान श्री अंशुल शर्मा, श्री मुरलीधर शर्मा के साथ दो सरकारी वाहन मय चालक श्री इन्द्रपाल कानि. नं. 618. श्री प्रमोद कानि. नं. 351 मय प्राईवेट वाहन तथा कार्यवाही में प्रयुक्त किये जाने वाली सामग्री का ट्रेप बाक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर सहित परिवादी को फिनाफ्थलीन पाउडर लगी रिश्वत राशि के साथ लेकर के गोपनीय कार्यवाही हेतु ब्यरो मुख्यालय से रवाना होकर शेखपुरा मौहल्ला, सीकर पहुंचे तथा गोपनीयता बरतते हुए आरोपी के निवास स्थान सुखी विहार बहुमंजिला इमारत के आसपास मुकीम हुए। तत्पश्चात् परिवादी श्री राजेन्द्र मुवाल को समझाईश कर आरोपी डॉ. दीपक अग्रवाल को मोबाईल पर वार्ता कर मुलाकात के सम्बन्ध में पूछने के लिये कहा गया तो परिवादी श्री राजेन्द्र मुवाल ने अपने मोबाईल नं. [redacted] से संदिग्ध आरोपी के मोबाईल नं. [redacted] पर वार्ता की गई. उक्त वार्ता को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। वार्ता में परिवादी द्वारा आरोपी को उनके निवास स्थान पर पहुंचने के बारे में बताया जाने पर आरोपी डॉ. दीपक अग्रवाल द्वारा इमारत के नीचे बेसमेंट में ही मुलाकात के लिये आने बाबत बताया। परिवादी द्वारा बताया गया कि आरोपी सदैव उससे इसी बेसमेंट में मुलाकात करता है। इस पर सम्पूर्ण जाप्ते एवं स्वतंत्र गवाहान को हिदायत दी गई कि परिवादी और संदिग्ध आरोपी की गतिविधियों पर निगरानी रखने का प्रयास करें तथा निर्धारित ईशारे

का इंतजार करे। परिवादी श्री राजेन्द्र मुवाल को रिश्वती राशि लेन-देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु सरकारी सोनी कम्पनी का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में नया मैमोरी कार्ड लगाकर खाली होना सुनिश्चित कर, चलाने व बन्द करने की विधि समझा कर श्री राजेन्द्र सिंह हैड कानि. को सुपुर्द कर हिदायत दी गई, कि संदिग्ध को रिश्वत देने के लिए परिवादी के जाने से पूर्व डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू कर परिवादी को देना सुनिश्चित करें। समय करीब 150 पीएम पर परिवादी श्री राजेन्द्र मुवाल द्वारा पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा किया तो मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महावीर प्रसाद मय एसीबी टीम मय गवाह के सुखी विहार बहुमंजीला ईमारत, के भूतल पर बनी पार्किंग क्षेत्र, शेखपुरा मोहल्ला, सीकर में प्रवेश किया। विडियों कैमरा श्री वीरेन्द्र कुमार कानि. नं. 212 से चालू करवाकर प्रवेश किया। उक्त बिल्डिंग के पार्किंग क्षेत्र, के अन्त में परिवादी व अन्य एक व्यक्ति कुर्सी पर अलग अलग बैठे मिले। इसके बाद परिवादी से डिजिटल वाईस रिकार्डर लिया जा चालू था जिसको बन्द किया, इसके बाद परिवादी ने वहां पर मौजूद एक व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया यह श्री दीपक अग्रवाल, संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, सीकर है जिन्होने मेरे से अभी अभी 25,000 रूपये रिश्वत के अपने बायें हाथ से लेकर पास में रखे पंलग के बिस्तर व निवार के बीच में रख दिये है। इस पर मैनें उस व्यक्ति को अपना तथा ए. सी.बी. टीम व स्वतंत्र गवाहान का परिचय देते हुये उससे उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री दीपक अग्रवाल पुत्र श्री मंगतुराम उम्र 51 साल जाति महाजन, फ्लैट नम्बर 104, सुखी विहार, शेखपुरा मोहल्ला, सीकर हाल संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, सीकर होना बताया। इसके बाद आरोपी का दाहिने हाथ की कलाई के उपर से श्री राजकुमार सउनि से तथा बांया हाथ कलाई के उपर से श्री राजेन्द्र सिंह हैड कानि. नं. 130 से पकडवाया गया। इस पर आरोपी श्री दीपक अग्रवाल, संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, सीकर से रिश्वत राशि के बारे में पुछा तो कोई रिश्वत नहीं लेना तथा रिश्वत नहीं मांगना बताते हुये परिवादी द्वारा जबरदस्ती देने पर अपने पास रखना बताया। इस पर परिवादी श्री राजेन्द्र मुवाल ने आरोपी की बात का खण्डन करते हुये बताया कि मैं वर्ष 2024 से पशु चि. मण्डा (मदनी) सीकर में कार्यरत था. उस समय डॉ. दीपक अग्रवाल, संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग विभाग सीकर ने मेरे पदस्थापन स्थान (मण्डा-मदनी) का निरीक्षण करने आये, उस समय मेरे पास पशु चि उपकेन्द्र बधाला की ढाणी (सीकर) का अति. चार्ज (कार्यभार) भी था। निरीक्षण के दौरान मेरे बधाला की ढाणी में उपस्थित होने तथा डॉ. दीपक अग्रवाल से निरीक्षण के दौरान फोन पर वार्ता होने के बाद भी उनके द्वारा मुझे कार्यस्थल पर अनुपस्थिति रहने बाबत कारण बताओ नोटिस जारी किया एवं तीन महीनों का वेतन आहरण रोक दिया। इस अनुचित कार्यवाही के सम्बन्ध में जब मैने डॉ. दीपक अग्रवाल से मुलाकात की तो उनके द्वारा मेरे नोटिस पर कार्यवाही नहीं करने के लिए तथा भविष्य में इस प्रकार की कार्यवाही नहीं करने लिए प्रतिमाह 5000/- रूप्ये मासिक बन्धी की मांग की गई। मेरे द्वारा मासिक बन्धी नहीं देने पर मेरा स्थानांतरण उच्चाधिकारियों से कहकर (झिनझिनयावली) जैसलमेर करवाया दिया, इसके बाद मोटासर खूनी श्रीगंगानगर करवा दिया गया। इसके बाद दिनांक 07.05.2025 को प्रातः डॉ. दीपक अग्रवाल ने अपने मोबाइल नं. [redacted] से मेरे मोबाइल नं. [redacted] पर कॉल किया और कहा कि तू मेरे से मिलने तो आता नहीं है मेरे द्वारा उनसे विनती की गई कि मैं पारिवारिक कारणों से परेशान हूं मैरा ट्रांसफर सीकर चाहता हूं तो उन्होने मिलने का कहा इससे करीब 10 दिन बाद उन्होने मुझसे वाटसअप कॉल करके कहा कि मेरे को पीछले महीनों की बंधी दे दे एवं यदि तुम मुझे 50 हजार रूपये दे देता है तो मैं तुम्हारा ट्रांसफर सीकर करवा दूगां। इसके बाद मैं कल दिनांक 30.05.2025 को श्री दीपक अग्रवाल से वार्ता करने आया तो उन्होने पीछले 06 माह की मासिक बंधी 5000 रूपये प्रति माह के हिसाब से कुल 30,000 रूपये की मांग की गई, जिसमें परिवादी द्वारा प्रार्थना करने पर 25000 रूपये लेने के लिए सहमत हुये। आज दिनांक 31.05.2025 को मेरे से 25000 रूपये अपने बांये हाथ से प्राप्त कर बहुमंजीला ईमारत, सुखी विहार के भूतल पर बनी पार्किंग क्षेत्र में रखी चारपाई पर बिस्तर व निवार के मध्य रख लिये है। इसके बाद आरोपी से पुनः पूछने पर कोई जवाब नहीं दिया। इसके पश्चात ट्रेप बाक्स खोलकर उसमें से एक साफ कांच का गिलास निकलवाकर उसमें साफ पानी भरकर उनमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवाकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल का रंग, रंगहीन रहा। इसके बाद आरोपी श्री दीपक अग्रवाल, संयुक्त निदेशक के दांहिने हाथ की अगुलियों व अंगुठे को उक्त घोल में धुलवाया गया तो घोल का रंग गदमैला हो गया। उक्त घोल को दो साफ कांच की शीशीयों में आधा आधा भरवाकर दोनों शीशीयों पर मार्क कमशः RH-1 व RH-2 अंकित कर उक्त दोनों शीशीयों को सील कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसी प्रकार दूसरा साफ कांच का गिलास मंगवाकर उनमें साफ पानी भरवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवाकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल का रंग रंगहीन रहा। इसके बाद आरोपी श्री दीपक अग्रवाल के बांये हाथ की अगुलियों व अंगुठे को उक्त घोल में धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। उक्त घोल को दो साफ कांच की शीशीयों में आधा आधा भरवाकर शीशीयों कमशः मार्क LH-1 व LH-2 अंकित कर उक्त दोनों शीशीयों को सीलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसके पश्चात परिवादी के बताये अनुसार आरोपी के पास रखी चारपाई पर बिछे हुये बिस्तर को उठाकर देखा तो वहां पर पांच पांच सौ रूपये के नोट दिखाई दिये, जिसको स्वतंत्र गवाह श्री अंशुल शर्मा से उठवाकर फर्द पेशकशी नोट से मिलान करवाया, इसके बाद उक्त नोटों के नम्बरों का मिलान मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष करवाया तो फर्द पेशकशी में अंकित नम्बरों के अनुसार होना पाये गये। उक्त राशि पांच पांच सौ रूपये के 50 नोट कुल 25,000 रूपये

पर सफेद कागज में लपेटकर, सील मोहर कर पैकिटों पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर बजह सबूत जप्त कर कब्जा ए. सी.बी. लिया गया। चारपाई के बिस्तर एवं निवार के मध्य वाले स्थान जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई थी उस स्थान को एक रूई के फोहे से रगडा गया तथा एक साफ कांच का गिलास मंगवाकर उनमें साफ पानी भरवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवाकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल का रंग रंगहीन रहा। इसके बाद उक्त रूई के फोहे को उक्त घोल में धुलवाया गया तो घोल का रंग गदमैला हो गया। उक्त घोल को दो साफ कांच की शीशीयों में आधा आधा भरवाकर दोनों शीशीयों पर मार्क कमशः BW-1 व BW-2 अंकित कर उक्त दोनों शीशीयों को सीलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया तथा रूई के फोये को एक प्लास्टिक के डिब्बी में रखकर, एक सफेद कपडे की थैली में रखकर मार्का C अंकित कर थैली को सील मोहर कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। घटना स्थल का परिवादी की निशादेही से कच्चा नक्शा मौका तैयार किया गया, जिसकी फर्द पृथक से तैयार की जायेगी । इस कार्यवाही के दौरान लोग आरोपी के साथ बदसलूकी करने लगे जिनको समझाईश कर व हिदायत कर रवाना किया गया। सुरक्षा एवं व्यवधान को मध्यनजर रखते हुये अग्रिम कार्यवाही हेतु आरोपी को साथ लेकर उक्त स्थान से रवाना होकर पुलिस थाना उद्योग नगर, जिला सीकर पर आया। इस कार्यवाही से श्री दीपक अग्रवाल पुत्र श्री मंगतुराम उम्र 51 साल जाति महाजन, फ्लैट नम्बर 104, सुखी विहार, शेखपुरा मौहल्ला, सीकर हाल संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, सीकर के द्वारा परिवादी श्री राजेन्द्र मुवाल से पूर्व में दिये गये नोटिस व परेशान नहीं करने की एवज में मासिक बंधी के रूप में 5000 रूपये प्रति माह एवं श्रीगंगानगर से सीकर स्थानांतरण करवाने के लिए 50 हजार रूपये की रिश्वत की मांग कर पीछले 06 माह की बंधी की मांग की गई, दिनांक 30.05.2025 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता में आरोपी द्वारा परिवादी से पहले पूर्व में तय 06 माह की बंधी की 30000 रूपये पीछले 06 माह के 05 हजार रूपये प्रति माह के हिसाब से मांग की गई जिसमें परिवादी द्वारा प्रार्थना करने पर 25000 रूपये रिश्वत के बंधी के रूप में लेने के लिए सहमत हुआ, उक्त मांग के अनुसरण में आज दिनांक 31.05.2025 को आरोपी द्वारा परिवादी से 25000 रूपये रिश्वत के अपने बांये हाथ से प्राप्त कर पास रखी चारपाई के बिस्तर व निवार के मध्य रखे गये जहां से रिश्वत राशि बरामद की गई तथा आरोपी के दोनों हाथों का धोवन लिया गया जो हल्का गुलाबी होना पाया गया। ट्रेप कार्यवाही लम्बी चलने के कारण विडियों कैमरे की विडियों रिकॉर्डिंग क्षमता व बैट्री की क्षमता कम होने से ट्रेप कार्यवाही के प्रारम्भ की व अन्त की ही विडियों रिकॉर्डिंग की गई है। रिश्वत लेनदेन कार्यवाही से पूर्व परिवादी को सुपुर्द किये गये विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू कर सरसरी तौर पर सुना गया जिसमें रिश्वत लेन देन के समय की वार्ता रिकार्ड होना पाई गई, वॉईस रिकॉर्डर को बन्द कर सुरक्षित रखा गया। उक्त हाथ धुलाई, बरामदगी रिश्वत राशि एवं जप्ती पत्रावली की फर्द पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। आरोपी श्री दीपक अग्रवाल संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, सीकर का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (यथा संशोधित 2018) अधिनियम 1988 का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर बाद पूछताछ नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। घटनास्थल का नक्शा मौका मानचित्र तैयार किया गया। बाद कार्यवाही आरोपी डॉ. दीपक अग्रवाल का स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर, ब्यूरो मुख्यालय पहुंचा तथा दिनांक 1.06.2025 को परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर तथा 2 मेमोरी कार्ड, जिनमें रिश्वत मांग सत्यापन तथा रिश्वत लेनदेन की वार्तायें, रिकॉर्ड है, को श्री गजानन्द उपनिरीक्षक से निकलवाया जाकर विभागीय कम्प्यूटर में जोड़कर उसमे लगे दिनांक 30.05.2025 को रिश्वत मांग सत्यापन की 3 वार्ताओं से सम्बन्धित मेमोरी कार्ड एवं दिनांक 31.05.2025 को रिश्वत लेन देन से सम्बन्धित रिकार्ड 2 वार्ताओं से सम्बन्धित मेमोरी कार्ड को दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री अंशुल शर्मा, श्री मुरलीधर शर्मा के समक्ष परिवादी श्री राजेन्द्र मुवाल से अपनी एवं आरोपी डॉ. दीपक अग्रवाल, संयुक्त निदेशक की आवाज की पहचान करवाई गई तो परिवादी श्री राजेन्द्र मुवाल, पशुधन निरीक्षक ने अपनी एवं आरोपी डॉ. दीपक अग्रवाल, संयुक्त निदेशक की आवाज की पहचान की। उक्त रिकार्ड वार्ताओं की वाईस क्लिप को बारी-बारी तीन अलग-अलग डीवीडी मे राईट/बर्न किया गया। वॉईस क्लिप डीवीडी में रिकार्ड / सेव होना सुनिश्चित किया जाकर तीनो डीवीडी पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात तीनों डीवीडी पर कमशः मार्का ए, ए-1 व ए-2 अंकित कर गवाहान व परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। मार्का ए व मार्का ए-1 डीवीडी को दो पृथक पृथक डीवीडी कवर मे रखकर, दो पृथक-पृथक सफेद कपड़े की थैलीयों में रख कर थैलीयों पर कमशः मार्का ए. ए-1 अंकित किये जाकर थैलियों पर गवाहान व परिवादी के हस्ताक्षर करवाये जाकर सील मोहर किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। मार्का ए-2 डीवीडी. को अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। दोनो मेमोरी कार्ड HIKVISION 32GB जिनमें उक्त वार्तायें रिकार्ड है को एक प्लास्टीक छोटी पारदर्शी की खाली डिब्बी में रखकर, प्लास्टीक की डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे रख कर मार्का M अंकित किया जाकर थैली पर गवाहान व परिवादी के हस्ताक्षर करवाये जाकर सील मोहर किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा इस कार्यवाही से सम्बन्धित रिकॉर्ड वार्ताओं का वार्ता रूपान्तरण तैयार किया जाकर फर्द मुर्तिब की गई। इसी कम में दिनांक 31.05.2025 की ट्रेप कार्यवाही की वीडियोग्राफी जो कि विभागीय कैमरा से श्री वीरेन्द्र शर्मा कानि. 212 से करवाई गई थी, उक्त कैमरा में लगे मेमोरी कार्ड में ट्रैप कार्यवाही से सम्बन्धित संरक्षित वीडियों को विभागीय लेपटॉप से जोडा जाकर वीडियो होना सुनिश्चित किया गया तथा मूल मेमोरी कार्ड से एक प्रति पेनड्राईव में तथा दूसरी प्रति मेमोरी कार्ड में संरक्षित की गई तथा मूल मेमोरी कार्ड को सील कर मार्क-एसडी

अंकित किया गया तथा कार्यवाही की फर्द तैयार की गई। उपरोक्त कार्यवाही से आरोपी डॉ. दीपक अग्रवाल पुत्र श्री मंगतूराम अग्रवाल, उम्र 51 साल, जाति-महाजन निवासी फ्लेट नं. 104, सुखी विहार, शेखपुरा मौहल्ला, सीकर हाल संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, सीकर के द्वारा दिनांक 30.05.2025 को परिवादी श्री राजेन्द्र मुवाल से स्थानान्तरण का कार्य करवाने तथा पूर्व की बकाया मासिक बन्धी रिश्वत राशि के रूप में प्राप्त करने के लिये पच्चीस हजार रूपये की मांग की जाकर, उक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के क्रम में दिनांक 31.05.2025 को आरोपी डॉ. दीपक अग्रवाल द्वारा परिवादी श्री राजेन्द्र मुवाल से 25,000 रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त करना एवं संदिग्ध रिश्वत राशि का बरामद होना, आरोपी के बांये हाथ की अंगुलियों के धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना पाया जाने पर आरोपी डॉ. दीपक अग्रवाल, संयुक्त निदेशक का यह कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी डॉ. दीपक अग्रवाल पुत्र श्री मंगतूराम अग्रवाल, उम्र 51 साल, जाति-महाजन निवासी फ्लेट नं. 104, सुखी विहार, शेखपुरा मौहल्ला, सीकर हाल संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, सीकर के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में प्रमाणित पाये जाने पर उपरोक्त आरोपी डॉ. दीपक अग्रवाल, संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, सीकर के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 07 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन श्रीमान की सेवा में पेश है। (महावीर प्रसाद) अति. पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एस.यू. द्वितीय, जयपुर..........कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री महावीर प्रसाद ,अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एस.यू. द्वितीय, जयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में आरोपी डॉ. दीपक अग्रवाल पुत्र श्री मंगतूराम अग्रवाल, उम्र 51 साल, जाति-महाजन निवासी फ्लेट नं. 104, सुखी विहार, शेखपुरा मौहल्ला, सीकर के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री विजय कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 599 पर अंकित है।(डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 784-88 दिनांक 02-06-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सीकर। 2-उप महानिरीक्षक पुलिस-चतुर्थ, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 3-शासन उप सचिव कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग, राजस्थान जयपुर । 4- शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर 5-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. द्वितीय, जयपुर । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** VIJAY KUMAR **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 02/06/2025 18:

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court**
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	08/01/1974				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)